26/3/21 वकील वादी उप०। वकील वादी को प्रा०पत्र O23 R01 जा०दी० पर सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा०पत्र O23 R01 जा०दी० स्वीकार किया जाकर वादी को पुनः वाद लाने की छूट देते हुए वाद विड्रा करने की इजाजत दी जावे। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र O23 R01 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विड्रा किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.05.24 12:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner